



2026:AHC:6680

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19357 वर्ष 2025

गजराज सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अखिलेंद्र सिंह, लालता प्रसाद, प्रभात कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह 2010 से वन विभाग में दैनिक मजदूरी के आधार पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में कार्यरत था और दावा यह है कि वह वरिष्ठ की अत्यधिक संतुष्टि के लिए बिना किसी अवकाश के लगातार काम कर रहा है, हालांकि, रिट याचिकाकर्ता को न्यूनतम वेतनमान का हकदार नहीं बनाया गया है और इस संबंध में उसने 17.10.2025 को क्षेत्रीय निदेशक/ प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वाणिकी प्रभाग ललितपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वर्तमान याचिका में रिट याचिकाकर्ता को न्यूनतम वेतनमान प्रदान करने का प्रार्थना किया गया है।
4. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जो भी प्रश्न उठता है वह यह होगा कि क्या रिट याचिकाकर्ता पहले से ही काम कर रहा है और उसकी पात्रता के प्रश्न हैं, उनका परीक्षण दूसरे प्रतिवादी, क्षेत्रीय निदेशक/प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग ललितपुर द्वारा की जानी है, इस प्रकार, उनके अनुसार, रिट याचिकाकर्ता उक्त प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है।
5. इस तरह की प्रस्तुतियों के लिए, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
6. न्यायालय के इस तरह की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को एक विस्तृत प्रत्यावेदन को 22.01.2026 तक दूसरे प्रतिवादी के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ वरीयता देने का निर्देश देने के लिए किया जाता है, उक्त प्रस्ताव पर, तीसरा प्रतिवादी पात्रता और रिट याचिकाकर्ता के दावे की परीक्षण करेगा और उसके बाद दो माह के भीतर आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ेगा और, यदि रिट याचिकाकर्ता निम्नलिखित निर्णय के आलोक में उक्त लाभों का हकदार है, **रिट याचिका संख्या 12358 वर्ष 2019 (राम नरेश और ओथर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) रिट याचिका संख्या 18119 वर्ष 2019 (राम औतार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य), रिट याचिका संख्या 18693 वर्ष 2020 (मो. सहीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य), रिट याचिका संख्या 2844 वर्ष 2023 (सुरेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य)** के मामले में उक्त लाभ रिट याचिकाकर्ता को विधि के अनुसार शीघ्रता से प्रदान किए जाए।

आदेश दिनांक: जनवरी 12, 2026

ए. प्रजापति

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।